



सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री महबूब आलम,
संवि०सं०
श्री अरूण सिंह,
संवि०सं०,
श्री गोपाल रविदास,
संवि०सं०

“सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रतिमाह क्रमशः 400 एवं 500 रूपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की शुरुआत 50 रूपये से हुई थी। तब से अबतक मुद्रास्फीति की दर 50 गुणा बढ़ी है तथा खाद्यान्न एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत सौ गुणा बढ़ी है।

समाज
कल्याण

अतएव लोकहित में मुद्रास्फीति एवं महंगाई के मद्देनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

2. श्री विजय कुमार खेमका,
संविंस०
श्री विनय बिहारी,
संविंस०
श्री नीतीश मिश्रा,
संविंस०

“केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समन्वय पर आपदा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश में लगभग प्रबंधन 9600 आपदा मित्र/सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर निरंतर सेवा कार्य दे रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी कार्य की पूर्ण उपयोगिता स्पष्ट न करने की स्थिति में हजारों युवक-युवती पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं।

अतः आपदा मित्रों/सखियों की उपयोगिता स्पष्ट कर कार्य का निश्चित मानदेय तय करने के साथ इनकी स्थायी नियुक्ति के लिये हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राज कुमार
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-3/2024- 326 / विंस०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-3/2024- 326 / विंस०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई०।


प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-3/2024- 326 / विंस०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई०।


प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)


अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-3/2024- 326 / विंस०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।


19/2/24